मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR

क्रमांकः प. /सामान्य/मोलासुवि/2021/7367 दिनांकः 16–01–2021

परिपत्र

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश की पालना के क्रम में दिनांक 07.01.2021 के द्वारा दिनांक 18.01.2021 विश्वविद्यालय /महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है एवं विश्वविद्यालय अपनी गतिविधियॉं पूर्ण रूप से प्रारम्भ कर रहा है।

कतिपय छात्र/छात्र संगठन/ प्रतिनिधि मण्डल कुलपति महोदय/ कुलसचिव/ वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियत्रंक/ महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/ विभागाध्यक्ष/मुख्य अधीक्षक, छात्रावास/चीफ प्रोक्टर आदि को ज्ञापन देने हेतु विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में आते रहते है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि इनके साथ आने वाले कुछ छात्र इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नही होते है तथा ऐसे प्रतिनिधि मण्डल में अन्य तत्व भी सम्मिलित होते है जिनका इस विश्वविद्यालय से कोई लेना–देना नही है।

अतः कुलपति महोदय यह आदेश प्रदान करते है कि समस्त छात्र, छात्र नेता अथवा प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए पालना सुनिश्चित करे एवं इनके पास विश्वविद्यालय का अधिकारिक परिचय पत्र होना आवश्यक है। परिचय पत्र के बिना ऐसे छात्रों का विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश वंचित रहेगा एवं संबंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/ निदेशक/ पाठ्यक्रम निदेशक इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/पी.जी. स्टडीज/विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, मोलासुवि, उदयपुर
2. निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन संकाय/कम्प्यूटर सेन्टर, मोलासुवि, उदयपुर
3. सभी विभागाध्यक्ष ...., मोलासुवि, उदयपुर
4. निदेशक, विश्वविद्यालय वेबसाईट, मोलासुवि, उदयपुर
5. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेल, मोलासुवि, उदयपुर
6. निजी सचिव–कुलपति महोदय/अति. निजी. सचिव–कुलसचिव महोदय, मोलासुवि, उदयपुर
7. रक्षित पत्रावली

उप कुलसचिव